456
29/06/2017

Tk-1021
29/06/17

76261

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 3756 /17
दिनांकः 27/06/17

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
समस्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालय
सम्बद्ध, डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित माननीय न्यायालय आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूल/कालेजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या 152/70–6–2008 दिनांक 20.07.2009 एवं सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश सं0 801/15.07.09–1(124)2009 दिनांक 20.07.2009।

महोदय,

आपको अवगत कराना हैं कि कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, हाथरस के द्वारा शिकायती पत्र में सूचित किया गया हैं। कि महाविद्यालयों द्वारा विगत 5 वर्षो में अग्निशमन विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हैं जबकि कतिपय महाविद्यालय को छोड़कर शेष महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष बाद किसी न किसी विषय की मान्यता प्राप्त की जा रही हैं एवं अनाधिकृत रूप से अग्निशमन प्रमाण पत्रो का प्रयोग किया जा रहा हैं।

उक्त के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालय के संचालकों/प्रबंन्धकों को निर्देशित किया जाता हैं, कि वह अपने–अपने महाविद्यालयों में नियमानुसार जनहित में अग्निशमन व्यवस्थायें कर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय को दिनांक 15.07.2017 तक उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय संचालकों/प्रबंन्धकों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(कुलसचिव)

प्रतिलिपिः–
1. अधीक्षक कुलपति सचिवालय, कुलपति जी को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. Agency-2016-17 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के लागिन में अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री कुँवर सिंह, अग्निशमन अधिकारी, जनपद हाथरस।

(कुलसचिव)